शाहजहांपुर पुलिस

प्रेस नोट- सराहनीय कार्य 18.10.2024

थाना तिलहर पुलिस को मिली बड़ी कामयावी,

थाना तिलहर क्षेत्र के ग्राम बथुई अक्का में एक नाबालिंग लडकी को अपहरण कर बेचने तथा खरीदने वाले अभियुक्तगण को तिलहर पुलिस ने किया गया गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महेदय के निर्देशन में श्रीमान क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल पर्यवेक्षण में एवं श्री राकेश कुमार प्रभारी निरीक्षक कोतवाली तिलहर के नेतृत्व में चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे तिलहर पुलिस टीम द्वारा थाना तिलहर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 511/2024 धारा 137(2),87,69,144,115(2) BNS व 3/4 व 16/17 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्तगण 1. सुखदेव पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम बथुई अक्का थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर 2. मनोज पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम आड़ूपुरा जागीर थाना इज्जतनगर जनपद बरेली तथा अभियुक्ता 3. श्रीमती जयंती पत्नी सुखदेव निवासी ग्राम बथुई अक्का थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर को आज दिनांक 18.10.2024 को तिलहर स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तगण उपरोक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त -

1. सुखदेव पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम बथुई अक्का थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर उम्र 28 वर्ष।
2. मनोज पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम आड़ूपुरा जागीर थाना इज्जतनगर जनपद बरेली उम्र 24 वर्ष।
3. जयंती पत्नी सुखदेव निवासी ग्राम बथुई अक्का थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण –

1. मु0अ0सं0 511/2024 धारा (2)87,69,144,115,(2)137 BNS व पाक्सो एक्ट 17/16 व 4/3 थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर ।

पूछताछ विवरण

1. गिरफ्ता शुदा अभियुक्त सुखदेव पुत्र रामबहादुर निवासी ग्राम बथुई अक्का थाना तिलहर जनपद शाहजहांपुर उम्र 28 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब दो महीने पहले मेरे गाँव की वीरपाल की लड़की जिसे मैने अपनी पत्नी की मदद से बहला फुसलाकर गाँव से ले गया था और बीस हजार रुपये में मनोज पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम आड़ूपुरा जागीर थाना इज्जतनगर जनपद बरेली को बिक्री कर दिया था साहब गलती हो गयी मुझे माफ कर दीजिए। अभियुक्ता जयन्ती पत्नी सुखदेव ने भी अपने पति की बातो का समर्थन किया।

2. मनोज पुत्र नेमचन्द निवासी ग्राम आड़ूपुरा जागीर थाना इज्जतनगर जनपद बरेली उम्र करीब 24 वर्ष ने पूछने पर बताया कि साहब मेरी जान पहचान सुखदेव से हो गयी थी उसने मुझसे कहा कि तुम्हारी शादी नही हुयी है मैं तुम्हारी एक लड़की से शादी करवा दूँगा मुझे बीस हजार रुपये दो तो मैने सुखदेव को बीस हजार रुपये दिये थे और सुखदेव अपनी पत्नी जयंती के साथ एक लड़की को दो महीने पहले लेकर आया था मैने उससे शादी कर ली और पति पत्नी की तरह रहने लगे थे मुझे नही पता था कि सुखदेव उस लड़की बहला फुसलाकर लाया था साहब गलती हो गयी माफ कर दे।

अभियुक्त को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 श्री बालकराम कोतवाली तिलहर जनपद शाहजहांपुर
2. हे0का0 353 शिवकुमार सिंह कोतवाली तिलहर जनपद शाहजहांपुर
3. म0का0 2393 प्रीति कोतवाली तिलहर जनपद शाहजहांपुर